के. कन्नन की अदालत के समक्ष, जे.

लखविंदर सिंह और एक अन्य की पत्नी आरती सिंह-याचिकाकर्ता

बनाम

विवाह पंजीकरण अधिनियम, नागरिक सचिव, हरियाणा,

चंडीगढ़ के तहत प्रमुख पंजीकरण,

और अन्य,के उत्तरदाता

सी. डब्ल्यू. पी. 2011 का No.2480

4 अगस्त, 2011

भारत का संविधान-अनुच्छेद 226-हरियाणा अनिवार्य पंजीकरण विवाह अधिनियम, 2008-एस. 5, 7-दंड प्रक्रिया संहिता-धारा 482-क्या माता-पिता की सहमति के अधिकारी को पंजीकृत करने की आवश्यकता है-आयोजित, जो वयस्क अपनी मर्जी से शादी करते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर पंजीकृत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है-याचिका की अनुमति-विवाह को पंजीकृत करने के लिए दिया गया आदेश कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं है।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जो वयस्क माता-पिता की सहमति या सहमति के बिना अपनी मर्जी से शादी करते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चलाया जा सकता है और यह राज्य का कर्तव्य है कि वे बिना किसी बाधा के पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई के साथ पंजीकरण तंत्र को तेजी से आगे बढ़ाएं।मैं याचिका में यह दावा नहीं कर सकता कि पंजीकरण अधिकारी को केवल याचिका के उद्देश्य के लिए दिए गए बयान के रूप में माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ताओं के लिए इस तरह का बयान देने का शायद ही कोई कारण हो, जब तक कि यह सच न हो।यदि युवा जोड़े अपनी शादी को सुरक्षित करने के

लिए सांस रोककर पहुंचते हैं, लेकिन पंजीकरण विभाग में भ्रष्ट या अयोग्य अधिकारियों द्वारा बाधित किए जाते हैं, तो इसका मतलब होगा कि पंजीकरण अधिकारी कर्तव्य में गंभीर लापरवाही करते हैं। अगर कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं है, तो मैं चौथे प्रतिवादी को विवाह को पंजीकृत करने के लिए अनिवार्य करता हूं, जब वे इस आदेश की प्रति के साथ आते हैं, तो किए जाने के लिए आवश्यक तरीके से।

(पैरा 4)

लखविंदर सिंह की पत्नी आरती सिंह और एक अन्य

बनाम विवाह अधिनियम, नागरिक सचिव, हरियाणा,

चंडीगढ़ और अन्य के पंजीकरण के तहत प्रमुख पंजीयक

(के. कन्नन, जे.)

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता बृजेंद्र कौशिक

कीर्ति सिंह, डीएजी, हरियाणा।

के. कन्नन, जे. (ORAL)

(1) याचिकाकर्ता हरियाणा अनिवार्य पंजीकरण विवाह अधिनियम, 2008 के तहत अपनी शादी के पंजीकरण के लिए निर्देश की मांग करते हैं।याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि पंजीकरण अधिकारी, चौथे प्रतिवादी को पंजीकरण के लिए माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है।चूंकि उन्होंने माता-पिता की इच्छा के खिलाफ शादी की है, इसलिए रिट याचिका में तर्क यह है कि उनकी सहमति प्राप्त करना संभव नहीं होगा।पंजीकरण अधिकारी द्वारा इस तरह के पाठ्यक्रम के लिए आग्रह करना कानून के अनुसार नहीं है।

(2) राज्य माता-पिता की सहमति के लिए कथित आग्रह पर मुद्दों में शामिल नहीं होता है, लेकिन कहता है कि उनकी शादी के बाद, याचिकाकर्ता अब नगर निगम की सीमा के भीतर शाहाबाद के निवासी हैं और अधिनियम की खंड 5 के तहत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केवल नगर निगम के संयुक्त आयुक्त या नगर समिति/परिषद के कार्यकारी अधिकारी/सचिव ही अधिनियम के तहत विवाह पंजीयक होंगे।

(3) याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता बताते हैं कि खंड 7 के तहत अधिकार क्षेत्र का पंजीयक है, (i) उस क्षेत्र का पंजीयक जिसमें विवाह किया गया था; (ii) दुल्हन/उसके माता-पिता या दूल्हे/उसके माता-पिता का सामान्य निवास स्थान।याचिकाकर्ता के अनुसार, निवास का सामान्य स्थान, विवाह की तारीख तक और विवाह के पंजीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन के रूप में पति या पत्नी में से एक का निवास स्थान भी है।पहली याचिकाकर्ता ने घोषित किया है कि उसका सामान्य निवास स्थान अजराना कलां, तहसील शाहाबाद, जिला कुरुक्षेत्र है। इसलिए वकील का तर्क होगा कि ऊपर निर्दिष्ट उसी अधिसूचना के संदर्भ में, तहसीलदार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सक्षम पंजीयक होगा।चूँकि अजराना कलां एक

ग्रामीण क्षेत्र है जो तहसील शाहाबाद के अंतर्गत आता है, इसलिए चौथा प्रतिवादी सक्षम अधिकारी होता है।

(4) अपने रक्त के लिए बेशर्मी से प्यासे अपने रिश्तेदारों से खुद को बचाने के लिए अपने पैतृक शहरों से भागने वाले और वैवाहिक गांठों के नीचे हड़ताल करने के लिए उकसाने वाले दंपति को नागरिक समाज की विवेकपूर्ण प्रतिक्रिया में सांत्वना मिलनी चाहिए। यह अदालतों में एक बार-बार होने वाला विषय रहा है, जहां संविधान की खंड 482 और अनुच्छेद 226 के तहत हमारे अधिकार क्षेत्र में मंदिरों, गुरुद्वारों आदि में होने वाले विवाहों की वैधता सुनिश्चित करने के लिए अदालतों में आने वाले व्यक्तियों द्वारा बड़ी संख्या में याचिकाएं दायर की जाती हैं। जबकि जोड़ों की सुरक्षा के लिए अधिकार क्षेत्र का प्रयोग एक बड़ा मुद्दा नहीं है, किसी को संदेह हो सकता है, जोड़े केवल अदालतों का दरवाजा खटखटाते हैं क्योंकि विवाह का पंजीकरण मुश्किल हो जाता है। जो वयस्क माता-पिता की सहमति या सहमति के बिना अपनी मर्जी से शादी करते हैं, उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं चलाया जा सकता है और यह राज्य का कर्तव्य है कि वे बिना किसी बाधा के पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कार्रवाई के साथ पंजीकरण तंत्र को तेजी से आगे बढ़ाएं। मैं याचिका में यह दावा नहीं कर सकता कि पंजीकरण अधिकारी को केवल याचिका के उद्देश्य के लिए दिए गए बयान के रूप में माता-पिता की सहमति की आवश्यकता होती है। याचिकाकर्ताओं के लिए इस तरह का बयान देने का शायद ही कोई कारण हो, जब तक कि यह सच न हो। यदि युवा जोड़े अपनी शादी को सुरक्षित करने के लिए सांस रोककर पहुंचते हैं, लेकिन पंजीकरण विभाग में भ्रष्ट या अयोग्य अधिकारियों द्वारा बाधित किए जाते हैं, तो इसका मतलब होगा कि पंजीकरण अधिकारी कर्तव्य में गंभीर लापरवाही करते हैं। अगर कोई अन्य कानूनी बाधा नहीं है, तो मैं चौथे प्रतिवादी को विवाह को पंजीकृत करने के लिए अनिवार्य करता हूं, जब वे इस आदेश की प्रति के साथ आते हैं, तो आवश्यक तरीके से किया जाना चाहिए। यदि चौथे प्रतिवादी के कार्यालय में कभी कोई कठिनाई का अनुभव होता है तो याचिकाकर्ता इस न्यायालय से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र होंगे और यह

पहले ही कहा गया है कि लोक अधिकारी द्वारा लापरवाही की किसी भी शिकायत को बहुत गंभीरता से देखा जाएगा।

(5) रिट याचिका की अनुमति उपरोक्त शर्तों पर दी गई है।

(6) आदेश की प्रति इस न्यायालय से जुड़े पाठक के हस्ताक्षर के तहत दस्ती जारी की जाए।

ए. एग्ग।

अस्वीकरण:- स्थानिया भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सिमित प्रयोग के लिए है ताकि अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इस का उपयोग नहीं किया जा सकता। सभी व्हावीरिक एवं आधारिक उद्येश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण परमानिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

gurvinder kaur